महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi
छात्रसंघ चुनाव : 2016–17
Student Union Election: 2016-17

प्रो0 शम्भू उपाध्याय
चुनाव अधिकारी
Prof.Shambhu Upadhyay
Election Officer

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी–221002
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-221002
Mobile No. – 9532860436, 9648000044
E-mail: shambhuupadhyayvns@gmail.com
drshambhuupadhyay@gmail.com

पत्रांक/Ref.No. : छा0सं0चु0/   /2016–17 दिनांक : 17.10.2016

प्रत्याशियों के लिए अर्हताएँ

1. स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं के लिए चुनाव लड़ने की आयु सीमा 17 से 22 वर्ष अथवा स्नातक खण्ड–I में प्रवेश से 3 वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो।
2. स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं के लिए चुनाव लड़ने की आयु अधिकतम 25 वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम खण्ड में प्रवेश से 2 वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, होगी।
3. ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें स्नातक उपाधि ही प्रदान की जाती है, किन्तु जिनमें प्रवेश की अर्हता स्नातक ही होती है– यथा एल0एल0बी,0बी0एड0,बी0पी0एड0 इत्यादि के नियमित छात्र/छात्राओं (एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रमों को छोड़कर) के लिए चुनाव लड़ने की आयु सीमा अधिकतम 24 वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम खण्ड में प्रवेश से 2 वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, होगी।
4. शोध छात्रों के लिए चुनाव लड़ने की आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष अथवा शोध में पंजीकरण से 2वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, होगी।

   उम्मीदवारों की आयु की गणना नामांकन तिथि से की जायेगी।
5. चुनाव में उम्मीदवारों के लिए कोई न्यूनतम प्राप्तांक आवश्यक नहीं होगा। किन्तु किसी भी दशा में चुनाव वर्ष के अनुत्तीर्णता अथवा शैक्षिक बकाये की स्थिति नहीं होनी चाहिए अन्यथा छात्र चुनाव में भाग लेने के लिए अर्ह नहीं होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरा करने वाला छात्र ही चुनाव लड़ सकता है। इस संबंध में सक्षम अधिकारी (यथा स्नातक/स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक) का प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. किसी भी छात्र/छात्रा को संघ के पदाधिकारी पद पर चुनाव लड़ने के लिए केवल एक अवसर तथा कार्यकारिणी की सदस्यता के लिए अधिकतम दो अवसर प्राप्त होंगे।
8. कोई भी सदस्य एक चुनाव में एक ही पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है।
9. किसी भी उम्मीदवार की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए अर्थात पूर्व में उस पर कोई मुकदमा नहीं चला हो अथवा वर्तमान में आपराधिक मुकदमा लम्बित न हो अथवा वह किसी आपराधिक कृत्य के लिए दण्डित नहीं हुआ हो अथवा उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय

द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई हो। इनमें से किसी भी स्थिति में वह चुनाव लड़ने के लिए अर्ह नहीं होगा।

10. उम्मीदवार के लिए विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक नियमित छात्र होना अनिवार्य होगा। दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम अथवा इसके समतुल्य कोई पाठ्यक्रम यथा एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकता अर्थात अर्ह उम्मीदवारों के लिए पूर्णकालिक नियमित एवं कम से कम एक वर्ष के पाठ्यक्रम में नामांकित होना अनिवार्य होगा।
11. कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक नियमित छात्र नहीं है, किसी भी रूप में चुनाव प्रक्रिया में भाग नही ले सकता हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध मामले के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
12. उम्मीदवार के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा।

छात्रसंघ चुनाव एवं छात्र प्रतिनिधि की राजनीतिक दलों से असम्बद्धता (Disassocciation of Students' Union Election and Student's Representation from Political Parties):

13. छात्रसंघ चुनाव में उम्मीदवारों के लिए किसी राजनीतिक दल से सम्ब़द्धता पूर्णतः वर्जित होगी। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए इस आशय का घोषणा पत्र कि उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई सम्बन्ध नहीं है, अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. चुनाव की सम्पूर्ण अवधि में कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विश्वविद्यालय की छात्र नामांकन पंजिका (Student's Admission Register) में अंकित नहीं है, किसी भी रूप में चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। इस नियम का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, उम्मीदवार/छात्र–संगठन का सदस्य अपनी उम्मीदवारी के प्रतिसंहरण/रद्द होने के साथ–साथ मामले के अनुरूप अपने विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा।

किसी भी संशय की स्थिति में लिंगदोह समिति के प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

नोटः– उपर्युक्त प्रावधान छात्रसंघ की नियमावली के बिन्दु सं0 04 पर अंकित है।

शम्भू उपाध्याय

प्रो0(शम्भू उपाध्याय)
चुनाव अधिकारी